भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2419
06 अगस्त, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: एपीएमसी विनियमित मंडियां

2419 श्री एम. मल्लेश बाबू:
क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में एपीएमसी विनियमित मंडियों की राज्य-वार कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि मजबूरी में की गई बिक्री को रोकने तथा किसानों के लिए आय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिक संख्या में मंडियां स्थापित किए जाने की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने एपीएमसी परिसरों के विस्तार के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं और कोलार एपीएमसी के लिए कोई निधि आवंटित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एपीएमसी की पर्याप्त संख्या कितनी है; और
(घ) देश में विनियमित मंडियां स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): देश भर में कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) द्वारा विनियमित मंडियों की राज्य-वार कुल संख्या अनुबंध में दी गई है।

(ख) और **(ग)**: कृषि विपणन राज्य का विषय है और कृषि उपज विपणन समितियों (एपीएमसी) को राज्य के संबंधित राज्य कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम के तहत विनियमित किया जाता है। वर्तमान में, एक विनियमित एपीएमसी मंडी 80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के मानक (राष्ट्रीय किसान आयोग की रिपोर्ट, 2006) के मुकाबले लगभग 406 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सेवा प्रदान करती है। किसानों को बेहतर किसान-बाजार संपर्क और उचित मूल्य प्रदान करने के लिए, विनियमित मंडियों के अलावा, गैर-विनियमित थोक मंडियां, किसान-उपभोक्ता मंडियां, खरीद केंद्र और निजी थोक बाजार जैसे अन्य मंडियां भी हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार किसान-मंडी लिंकेज को बेहतर बनाने के लिए वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज को डीम्ड मार्केट यार्ड घोषित करने को बढ़ावा दे रही है। भारत सरकार ने सुधार से जुड़ी राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई-नाम) योजना शुरू की थी, जो विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) की वास्तविक थोक मंडियों/बाजारों को एकीकृत करने वाला वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, ताकि कृषि और बागवानी वस्तुओं को ऑनलाइन व्यापार की सुविधा मिल सके और किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर लाभकारी मूल्य मिल सके। ये सभी बेहतर विपणन दक्षता और किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने में योगदान करते हैं।

(घ): कृषि विपणन राज्य का विषय है, इसलिए उत्पादन, विपणन योग्य अधिशेष और व्यापारियों की मौजूदगी आदि के आधार पर आवश्यकता का आकलन करने के बाद राज्य एपीएमसी मंडी स्थापित किया करते थे। सरकार कृषि उपज बाजार समितियों (एपीएमसी) को सुदृढ़ बनाने और सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के माध्यम से उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए हमेशा से सहयोग कर रही है। सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ्तार, कृषि मंडी इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई), राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई-नाम) और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर और मूल्य श्रृंखला विकास के लिए एपीएमसी की सहायता कर रही है।

लो.स.अता.प्र.सं. 2419

अनुबंध

देश भर में कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) द्वारा विनियमित मंडियों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एपीएमसी विनियमित मंडी
1	आंध्र प्रदेश	318
2	अरुणाचल प्रदेश	19
3	असम	226
4	छत्तीसगढ	187
5	गोवा	8
6	गुजरात	405
7	हरियाणा	285
8	हिमाचल प्रदेश	63
9	झारखंड	201
10	कर्नाटक	564
11	मध्य प्रदेश	557
12	महाराष्ट्र	929
13	मेघालय	2
14	नागालैंड	19
15	ओडिशा	535
16	पंजाब	436
17	राजस्थान	484
18	तमिलनाडु	288
19	तेलंगाना	282
20	त्रिपुरा	21
21	उत्तर प्रदेश	633
22	उत्तराखंड	62
23	पश्चिम बंगाल	537
24	दिल्ली	15
25	चंडीगढ़	1
26	पुदुचेरी	8
	कुल	**7085**

*****